



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/10/2021	<p> पत्रावली कागज प्रमाण अंकों के संग अधिवान-2021 कोष.....अठवावला पेश हुम्। पत्रावली नं. पत्रावली दिनांक 24/10/2021 </p> <p style="text-align: center;">  प्रभारी अधिकारी प्र. नं.सं. अधिवान-2021 </p>
11/01/2022	<p> पत्रावली पेश हुम्। आज पीठसीन अधिकारी कार्य सरकार भ्रमण अवकाश पर है। पत्रावली नं.सं. दिनांक 18/01/2022 को पेश है। </p>
18/1/22	<p> पत्रावली पेश हुम्। आज पीठसीन अधिकारी कार्य सरकार भ्रमण अवकाश पर है। पत्रावली नं.सं. दिनांक 19/1/2022 को पेश है। </p>
19/1/2022	<p> पत्रावली पेश हुम्। सरकारी पेटिका उपस्थित / सजाधी की भी से तमिली कार्यवाही नहीं होने से अनुपस्थित जाधी ने सजाधी के विरुद्ध धक। 175, 176 राजस्थान कष्टकारी अधिनियम के तहत पेश किया। पत्रावली का ध्यागपूर्वक सफलकन किया जिसमें नामान्तरण संख्या 11952 दिनांक 24.8.21 स्वीकृत हुआ उक्त नामान्तरण तहसीलवा खाकी द्वारा स्वीकृत हो राजस्व बंकेट में जाधी खासदारी में नाम नरेश वेंचान र प्रिन्सी वेंचान र प्रिन्सी ममल दरामद हुआ है। </p>

उक्त नामान्तरण के मुद्दाएँ खारिज
 का नाम अमानत में उम्मादुल्ला
 उक्त नामान्तरण के अभाव में उक्त
 खारिज के विषय 175 & 176
 के अर्पवाही इस अमानत में नहीं
 चलाने जा सकती। इसलिये जहाँ
 तहसीलदार द्वारा लकीरत नामान्त
 11912 का निरस्त करने हेतु
 लखन अमानत में कार्यवाही
 उस्तुत की जा सकती है उक्त
 नामान्तरण के अभाव में उक्त उक्त
 कार्यवाही इस अमानत में निरस्त
 में नहीं लाने जा सकती है इसलिये
 तहसीलदार द्वारा उस्तुत जमानत-पर
 अन्तर्गत धारा 175, 176 & 177
 का विधि समस्त लखन अमानत
 में उस्तुत नहीं होने उक्त जमानत
 पर खारिज किया जाता है
 पञ्जावली केवल मुमाद वक्त
 नकल से कम हासिल लखन
 है।


 सहायक कलेक्टर एवं
 उपसभ्य अधिकारी, बावड़ी